

महोदय

निवेदन है कि संलग्न महानगर आवासन आचार्य महोदय

अनुसूचित शही नाम पुरवांसिंह वीरु राजेश देवी जमाबंदी में  
शुद्धि कर पूर्णसिंह के बजाय पुरवांसिंह शही प्रविण्डि बाबत  
प्रतिवेष्टा है

*(Signature)*  
रिपोर्ट तहसीलदार

*(Signature)*  
14-10-2021

रिपोर्ट तहसीलदार / नायब तहसीलदार

रिपोर्ट पढकर एवं I.R के अनुसार शुद्धि  
किया गया उचित है।

तहसीलदार (भू.अ.) भाण्डल  
जिला-धीरवाड़ा

आदेशः

तहसीलदार भाण्डल की रिपोर्ट के अनुसार श्वाता  
श्रेण्या 120, 285 में पूर्णसिंह के बजाय पुरवांसिंह शुद्धि  
किये जाने का आदेश दिया जाता है।

धीरवाड़ा तहसीलदार  
जिला-धीरवाड़ा  
प्रशासनिक कार्यालय  
14-10-2021